न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या:– 45/2013 निर्णय दिनांक :– 08.07.2022

उनवानी दावा :

1. मोतीशंकर पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी हाल निवास चांदली तहसील देवली, जिला–टोंक (राज.)
2. राजाराम पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी हाल निवास चांदली तहसील देवली, जिला–टोंक (राज.)
3. भगवान पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी हाल निवास चांदली तहसील देवली, जिला–टोंक (राज.)
4. गौतम पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी हाल निवास चांदली तहसील देवली, जिला–टोंक (राज.)
5. कृष्णमुरारी पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी हाल निवास चांदली तहसील देवली, जिला–टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदारजी देवली जिला–टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता कैलाश पुत्र जगन्नाथ ब्राहम्ण को साबिक ख0नं0 2186 में से 8 बीघा जमीन का आवंटन कमेटी जरिये मिसल सं0 475/1961 आवंटन किया गया था और हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर वादीगण के पिता को कब्जा संभलाया गया था। उक्त आवंटन के आधार पर वादीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 1003 दिनांक 22.05.1986 को स्वीकार कर लिया गया था। वादीगण के पिता का देहान्त हो गया है और वादीगण मृतक कैलाशचंद के जायज कायम मुकाम है। वादीगण के अलावा अन्य कोई जायज कायम मुकाम नहीं है। देवली तहसील में सेटलमेंट होने के बाद साबिक ख0नं0 2186 के नये नं0 1089 रकबा 1.35 है0 बना दिये गये है एवं ख0नं0 1087 रकबा 0.50 है0 बना दिये गये है। ग्राम

उथरणा नया गांव घोषित हो जाने के कारण ख0नं0 1087 के नये नं0 396 एवं ख0नं0 1089 के नये नं0 398 बना दिये गये है। वादीगण का उपरोक्त दोनो नम्बरो पर कब्जा चला आ रहा है। पूर्व में वादीगण के पिता का और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पिता को उक्त जमीन अलॉट होने के बाद गैर खातेदारी का नामान्तकरण भी भर दिया गया था लेकिन उक्त नामान्तकरण का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया और उक्त जमीन को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक अंकित कर दिया गया जबकि उक्त जमीन को वादीगण के पिता की खातेदारी में लगाना चाहिये था। चूंकि वादीगण के पिता का देहान्त हो गया है, वादीगण उनके जायज कायम मुकाम है इसलिए वादीगण की ओर से यह दावा घोषणा खातेदारी का श्रीमान् की सेवा में पेश है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत करते है। हल्का पटवारी वादीगण को उक्त जमीन से बेदखल करने की धमकी देता है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे स्वयं जरये एजेंट, नोकर—चाकर के वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करें। उक्त वाद में राज्य सरकार एवं उसके प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाया गया, तहत कानून धारा 80 सीपीसी के तहत दावा करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण यह वाद बिना नोटिस दिये ही पेश है। दफा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। बिनाय दावा आज से 7 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब हल्का पटवारी ने वादीगण को उक्त जमीन से बेदखल करने की धमकी दी। जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादग्रस्त आराजीयात एवं पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। दावा अ0धारा 88, 92ए, 188 राज0टी0एक्ट के तहत अंदर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार हैः—मुताबिक रिकार्ड अवलोकनार्थ स्वीकार है। साबिक ख0नं0 2186 नये नं0 1089/1.35 है0, 1087/0.50 है0 उथरणा नवीन ग्राम घोषित होने पर नये नं0 398 बने है। मिलान क्षेत्रफल से भिन्न है। स्वीकार नहीं है। स्वीकार नही है। वर्तमान में भूमि सिवायचक सरकार है। अतः उसे बेदखल एवं धारा 91 की कार्यवाही जायज है। ख0नं0 1003 गैर खातेदारी का

नामांतकरण भरा गया था। उसके बाद खातेदारी होनी थी, जो खातेदार ने नहीं करवाई या सेटलमेंट द्वारा उस पर अमल नही किया गया। वर्तमान में भूमि राजकीय भूमि है। जिसे खातेदार घोषित किया जाना राजहित में नहीं है। वाद खारिज करने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर उभयपक्ष को सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू – 1 राजाराम पुत्र कैलाशचंद जाति ब्राहम्ण उम्र वर्ष निवासी दूनी हाल निवास ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक व पी. डब्ल्यू–2 शशिभूषण पुत्र श्री विष्णु प्रकाश शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक हाल निवासी बंबोर रोड टोंक जिला–टोंक का पेश किया।

उक्त शपथ पत्रो में साक्ष्यो पी. डब्ल्यू–1 व 2 ने अपने शपथ पत्रों में वाद के तथ्यों का ही दोहरान किया।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल ग्राम चांदली, प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–3 खसरा परिवर्तन निर्धारण 2074, प्रदर्श–4 से 6 रसीदे, प्रदर्श–7 प्रतिलिपि आवेदन पत्र आवंटन संबंधी मिसल नं0 475, प्रदर्श–8 खसरा परिवर्तन निर्धारण संवत 2068, प्रदर्श–9 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–10 मिलान क्षेत्रफल 2058–61, प्रदर्श–11 जमाबंदी खतौनी 2066–69, प्रदर्श–12 धारा 91 के नोटिस, प्रदर्श–13 खाता परिवर्तित निर्धारण 2050, प्रदर्श–14 जमाबंदी खेवट खतौनी 2034–2037, प्रदर्श–15 नामान्तकरण पंजिका ग्राम चांदली पेश किये है।

पेरोकार सरकार के अनुपस्थित रहने से जिरह वादी बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

नियत तारीख पेशी में पेरोकार सरकार के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता वादी से बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद मिमो का दोहरान करते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता कैलाश को सन् 1961 में साबिक ख. नं. 2186 में से 8 बीघा जमीन का आवंटन हुआ था जिसका गैर खातेदारी का नामान्तकरण 1986 में खोला गया। बाद सेटलमेंन्ट कार्यवाही साबिक ख. नं. 2186 के हाल ख. नं. 1089 व 1087 बनाये गये। फिर चांदली से नया राजस्व गांव उथरणा बनने से हाल ख. नं. 1089 से नये ख. नं. 398 व हाल ख. नं. 1087 से नये ख. नं. 396 बनाये गये। सेटलमेंन्ट कार्यवाही के दौरान वादीगण की उक्त गैरखातेदारी भूमि को सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड में कर दिया जबकि वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है इसके लिए धारा 91 के नोटिस भी पत्रावली में संलग्न है। सेटलमेंन्ट को बिना किसी न्यायालय के सक्षम आदेश के बिना वादी की जमीन को सिवाचयक करने का अधिकार नहीं था। भू–प्रबन्ध अधिकारीयों को पुरानी प्रविष्टियों को ही नये ख. नं. बनाते हुए दोहरान करना था। इस कारण से वादी ने उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए वाद पेश किया है।

तनकीवार निर्णयः–

1. आया वादीगण विवादित भूमि ख0नं0 398/1.35 है0 व 396/0.50 है0 वाके ग्राम चांदली तह0 देवली की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड के हकदार है ? **–वादीगण–**

   तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण नें प्रदर्श–15 नामान्तकरण पंजिका ग्राम चांदली के नामान्तकरण संख्या 1003 के कॉलम संख्या 11 व 12 कैलाश पुत्र जगन्नाथ ब्राहम्ण सा. देह गैरखातेदार ख. नं. 2186 रकबा 8 बीघा दर्शित है। प्रदर्श–9 साबिक ख. नं. 2183 मिन, 2184 मिन, 2186 मिन, 2187 मिन से ख. नं. 1089 रकबा 1.35 है0 बनना दर्शित है। प्रदर्श–1 मिलान क्षैत्रफल ग्राम चादली पटवार हल्का चांदली के अनुसार साबिक ख. नं. 1087 से हाल ख. नं. 396 बनना व प्रदर्श–10 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2058–61 साबिक ख. नं. 1089 से हाल ख. नं. 398 बनना दर्शित है। प्रदर्श–1 प्रतिलिपी प्राप्त करने का आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा आवंटन सम्बन्धी ग्राम चांदली तहसील देवली मिसल नं. 475 सन् 1961 में प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपी कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक द्वारा लिखा गया है कि उक्त पत्रावली रिकॉर्ड में जमा होना नहीं होना पाया जाता है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उक्त तनकी को साबित

करने के लिए अति आवश्यक दस्तावेज आवंटन पत्रावली, सुपुर्दगीनामा आदि का होना आवश्यक है, जिसका अभाव पत्रावली में है। वादीगण के अनुसार साबिक ख. नं. 2186 से 1089 व 1087 बनाये गये है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श—9 साबिक ख. नं. 2183 मिन, 2184 मिन, 2186 मिन, 2187 मिन से ख. नं. 1089 रकबा 1.35 है0 बनना दर्शित है न कि केवल साबिक ख. नं. 2186 से बनना दर्शित है। ख. नं. 1087 किस/किन खसरा नम्बरो से बने है, के राजस्व दस्तावेज का पत्रावली में अभाव है। उक्त से स्पष्ट है कि वादीगण साबिक ख. नं. 2186 से ख. नं. 1089 व ख. नं. 1087 बनना सिद्ध नहीं कर पाने के कारण अन्य दस्तावेजो को देखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः वादीगण द्वारा अपने वाद को साबिक रिकॉर्ड, आवंटन पत्रावली, सुपुर्दगीनामा ,आवंटन के समय की नक्शा शीट व अन्य आवश्यक राजस्व दस्तावेज पेश नहीं करने के अभाव में तनकी नं. 1 का निर्णय विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

2. आया प्रति0 पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा न्यायोचित है ?

—प्रति.पेरोकार सरकार—

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था। तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार तनकी नं. 2 बखूबी साबित है। तनकी नं. 2 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

उक्त तनकीवार विवेचन से वादीगण का वाद साबिक रिकॉर्ड, आवंटन पत्रावली, सुपुर्दगीनामा ,आवंटन के समय की नक्शा शीट व अन्य आवश्यक राजस्व दस्तावेज पेश नहीं करने के अभाव में खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली

व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक...

उनवानी दावा :

1. मोतीशंकर पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी हाल निवास चांदली तहसील देवली, जिला—टोंक (राज.)
2. राजाराम पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी हाल निवास चांदली तहसील देवली, जिला—टोंक (राज.)
3. भगवान पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी हाल निवास चांदली तहसील देवली, जिला—टोंक (राज.)
4. गौतम पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी हाल निवास चांदली तहसील देवली, जिला—टोंक (राज.)
5. कृष्णमुरारी पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी हाल निवास चांदली तहसील देवली, जिला—टोंक (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदारजी देवली जिला—टोंक (राज.)

—प्रतिवादीगण—

<u>वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 45 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाद साबिक रिकॉर्ड, आवंटन पत्रावली, सुपुर्दगीनामा ,आवंटन के समय की नक्शा शीट व अन्य आवश्यक राजस्व दस्तावेज पेश नहीं करने के अभाव में खारिज किया जाता है।

निजी..मुवलिक...बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 07 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए